न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आव० वस्तु अधि०) / अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थितः- जितेन्द्र यादव (एच०जे०एस०)

I. D. No. - UP2662

विशेष परीक्षण संख्या- 290/ 2019

सरकार बनाम उमेश कुमार।

धारा- 138(1) (b) भारतीय विद्युत अधिनियम,

थाना- सीपरी बाजार, जिला झाँसी

मु०अ०सं०- 339/ 2018

निर्णय

पत्रावली आज न्यायालय के समक्ष **राष्ट्रीय लोक अदालत** में प्रस्तुत हुई। अभियुक्त उमेश कुमार की ओर से जुर्म इकबाल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर वाद का निस्तारण कराना चाहता है। उपरोक्त आधार पर याचना की गई है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र स्वीकार कर कम से कम जुर्माना से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त का जुर्म इकबाली बयान भी अंकित किया गया, जिसमें उसने अपना अपराध स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है तथा मुकदमें का सही चलना कहा है।

अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसका विद्युत संयोजन बकाया धनराशि जमा न किये जाने के कारण पूर्व में विच्छेदित कर दिया गया था, परन्तु दिनांक- 10- 09- 2018 को समय 00. 00 बजे, वहद स्थान- मकान अभियुक्त 96 लहरगिर्द नन्दनपुरा, थाना- सीपरी बाजार, जिला झाँसी में विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विद्युत चैकिंग के दौरान अभियुक्त को अपने परिसर में पूर्व में विच्छेदित किये गये विद्युत संयोजन को पुनः अवैध रूप से जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उसके द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर उसे धारा- 138(1) (b) भारतीय विद्युत अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी पाया जाता है।

आदेश

तदनुसार अभियुक्त उमेश कुमार को धारा- 138(1) (b) भारतीय विद्युत अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध कर 3,000/ - (तीन हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनाँक- 13. 09. 2025

(जितेन्द्र यादव)

विशेष न्यायधीश(आव० वस्तु अधि०) /

अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

Digitally signed by JITENDRA YADAV
Date: 2025.09.13 14:25:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया ।

दिनाँक- 13. 09. 2025

(जितेन्द्र यादव)
विशेष न्यायधीश(आव० वस्तु अधि०) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।